पत्रांक–15 / डी 1–13 / 2011 उ0शि0–...../

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

प्रेषक,

एस0एम0 करीम,
निदेशक, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुलसचिव,
राज्य के सभी विश्वविद्यालय।

पटना, दिनांक.....2015

विषयः राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत के मद में 45% प्रतिशत बकाये का भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत राशि रूपये 237,60,68,021 / – (दो सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार इक्कीस रूपये) मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्यादेश संख्या–.69, दिनांक 18.02.2015 के द्वारा राज्य के विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ अंगीभूत महाविद्यालयों के सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षकेतर पदाधिकारी एवं शिक्षकेतर कर्मियों के पेंशन / पारिवारिक पेंशन तथा महंगाई राहत के मद में 45% प्रतिशत बकाये का भुगतान करने के निमित्त वित्तीय वर्ष 2014–15 में स्वीकृत राशि रूपये 237,60,68,021 / – (दो सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार इक्कीस रूपये) मात्र की विमुक्ति विश्वविद्यालयवार निम्नवत् **"इस शर्त्त के साथ की जाती है कि स्वीकृत राशि से उन्हीं सेवा निवृत्त कर्मियों को भुगतान होगा, जिनके वेतन निर्धारण का सत्यापन इस उद्देश्य से गठित वेतन सत्यापन कोषांग द्वारा किया जा चुका है":–**

क0सं0	विश्वविद्यालय का नाम	विमुक्त राशि
1.	2.	3.
1	पटना विश्वविद्यालय, पटना	**18,24,83,642**
2	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	**63,08,04,488**
3	बी0आर0बी0ए0 बिहार वि0 मुजफ्फरपुर	**33,91,46,746**
4	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	**12,33,49,231**
5	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	**19,49,32,932**
6	बी0एन0 मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	**13,15,51,973**
7	तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर	**32,27,61,022**
8	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	**41,80,62,982**
9	कामेश्वर सिंह दरभंगा, विश्वविद्यालय, दरभंगा	**3,29,75,005**
	कुल राशि	**237,60,68,021** (दो सौ सैतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार इक्कीस) रू0 मात्र

3. वर्तमान में स्वीकृत राशि से राज्य के विश्वविद्यालयों के वैसे शिक्षकों/शिक्षकेतर पदाधिकारियों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को पेंशनादि का भुगतान किया जायेगा, जो स्वीकृत पद पर नियमित रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए हैं। बकाये पेंशनादि की राशि का भुगतान निम्नांकित शर्तो एवं बंधेजों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा :–

(I) पेंशनादि की राशि का भुगतान वैसे ही शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मचारियों को किया जायेगा, जो विश्वविद्यालय सेवा में विधिवत रूप से नियुक्त होकर सेवानिवृत्त हुए हैं।

(II) स्वीकृत राशि से जिन शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों को भुगतान किया जा रहा है, उनके वेतनादि का निर्धारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 यथा अद्यतन संशोधित की धारा–35 की उप धारा–(2) के प्रावधानों के आलोक में राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमानों के आधार पर किया गया है।

(III) शिक्षकों के पेंशनादि का भुगतान राज्य सरकार के पत्र–2374 दिनांक–29.07.2010 की कंडिका–1(10), 2 (10) तथा संकल्प के एपेन्डिक्स–1 की उप–कंडिका–(ii) में अंकित निदेशों एवं शर्त्तों के आधार पर किया जायेगा।

(IV) शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन का पुनरीक्षण विभगीय संकल्प संख्या–2693, दिनांक–27.08.2010 द्वारा किया गया है। विश्वविद्यालय के संबंधित पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवानिवृत्त कर्मियों के वेतन का निर्धारण पुनरीक्षित वेतनमान् की शर्त्तों एवं बंधेजों के अनुरूप किया गया है।

(V) विश्वविद्यालय अधिनियम के अन्तर्गत बने परिनियमों एवं राज्य सरकार के निर्देशों एवं न्यायादेशों के अनुसार नियुक्ति एवं प्रोन्नति में वॉछित अर्हता पूरी नहीं करने वाले शिक्षकों/शिक्षकेतर कर्मियों की वार्षिक वेतन वृद्धि पर रोक लगाते हुए वेतन का भुगतान किया जा रहा है।

(VI) तत्काल चतुर्थ चरण के नव अंगीभूत महाविद्यालयों के कर्मियों के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील सं0 6098/97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित आदेश के अनुपालन में मात्र वैसे शिक्षकों/शिक्षकेत्तर कर्मियों के पेंशनादि के बकाये का भुगतान किया जायगा, जो माननीय न्यायमूर्ति एस0सी0 अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन एवं सिविल अपील संख्या 6098/97 में पारित आदेश के अनुसार सरकार द्वारा स्वीकृत पदों या दिनांक 30.04.1986 तक अनुशंसित पद के विरूद्ध हो।

(VII) बिहार राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) अधिनियम, 2012 की धारा–(2) के अनुसार केवल ऐसे प्रयोग प्रदर्शक को शिक्षक कोटि में माना जाना है जो, दिनांक 01.01.1973 के पूर्व स्वीकृत पदों पर दिनांक 18.9.1975 तक बिहार लोक सेवा आयोग या बिहार विश्वविद्यालय सेवा आयोग की अनुशंसा/सहमति से नियुक्त हुए थे।

(VIII) बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये वेतनमान से अधिक वेतनमान अनुमान्य किये जाने की शक्ति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकार, परिनियत समिति तथा अधिकारी में निहित नहीं है। अतः विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा–35 में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार के द्वारा स्वीकृत वेतनमान से अधिक वेतनमान, किसी भी कर्मी को उच्च स्तरीय पद के वेतनमान में पेंशनादि का भुगतान नहीं किया जायेगा।

(IX) राज्य सरकार ने हड़ताल की अवधि की अनुपस्थिति को विनियमित करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 508 दिनांक 01.03.2012 के द्वारा राज्य सरकार के कर्मियों के संदर्भ में पूर्व में लिए गए निर्णय "काम नही तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त को अक्षुण्ण रखते हुए राज्य के विश्वविद्यालयों/अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों की हड़ताल अवधि की अनुपस्थिति को भी असाधारण "अवैतनिक" अवकाश के रूप में स्वीकृत करने का निर्णय संसूचित किया है। अतः राज्य सरकार के द्वारा लिये गये उक्त निर्णय के आलोक में शिक्षकों की किसी प्रकार की हड़ताल अवधि के बकाये का भुगतान स्वीकृत राशि से नहीं किया जायेगा।

(X) उपर्युक्त कंडिकाओं में वर्णित शर्त्तों का विश्वविद्यालय अधिकारियों तथा संबंधित कर्मचारियों द्वारा पालन नहीं किये जाने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा न केवल संबंधित विश्वविद्यालय पदाधिकारियों एवं कर्मियों का वेतन भुगतान स्थगित किया जायेगा, बल्कि पटना विश्वविद्यालय अधिनियम–1976 की धारा–35(3) तथा 52(3) तथा अन्य विश्वविद्यालयों के मामले में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 35(3) एवं 52(6) के अन्तर्गत अनुमान्यता से अधिक भुगतान की गयी राशि संबंधित विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों से पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत वसूली की कार्रवाई की जायेगी एवं उनके विरूद्ध न केवल प्रशासनिक कारवाई बल्कि आपराधिक मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है।

4. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालयों द्वारा विहित प्रपत्र–बी0टी0सी0 फार्म 42A में अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ विभाग को उपलब्ध कराना होगा। उपयोगिता प्रमाण–पत्र अंकेक्षण प्रतिवेदन सहित प्राप्त के बाद ही आगे की राशि स्वीकृत एवं विमुक्त की जा सकेगी।

5. भारतीय अंकेक्षण तथा लेखा विभाग एवं राज्य सरकार के वित्त (अंकेक्षण) विभाग को इस स्वीकृत राशि से किये गये भुगतान का अंकेक्षण किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

6. वित्त विभाग के पत्रांक–7355(2) दिनांक–05.10.2007 तथा महालेखाकार (लेखा एवं हक0) के पत्रांक–टी0एम0 11–877–907 दिनांक–08.11.2007 के आलोक में कुल राशि रूपये 237,60,68,021/– (दो सौ सैंतीस करोड़ साठ लाख अड़सठ हजार इक्कीस रूपये) मात्र विश्वविद्यालय शिक्षा कोष नामक पी0एल0 खाता शीर्ष–8448–स्थानीय निधियॉ की जमा(प्राप्तियॉ)–110–शिक्षा निधियॉ विपत्र कोड के0–8448001100001 में जमा है। अतः कंडिका–1 में अंकित राशि की निकासी पी0एल0 खाता शीर्ष–8448–स्थानीय निधियॉ की जमा(प्राप्तियॉ)–110–शिक्षा निधियॉ विपत्र कोड के0–8448001100001 से होगी। राज्यादेश संख्या–69, दिनांक 18.02.2015 द्वारा स्वीकृत राशि की निकासी हेतु प्राधिकृत अवर सचिव, शिक्षा विभाग उक्त राशि की निकासी कर संबंधित विश्वविद्यालयों को इन्टरनेट बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध करायेंगें।

विश्वासभाजन,

ह0/–

(एस0एम0 करीम)
निदेशक, उच्च शिक्षा

ज्ञापांकः–15/डी 1–13/2011 उ0शि0–650/ पटना, दिनांक 23/3/2015

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (लेखा एवं हक0) बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना/आय–व्यय पदाधिकारी, वित्त विभाग, बिहार, पटना/वित्तीय परामर्शी/वित्त पदाधिकारी, राज्य के सभी विश्वविद्यालय, बिहार/अवर सचिव, शिक्षा विभाग/नोडल पदाधिकारी (विधि), उच्च शिक्षा /सभी उप निदेशक (उ0शि0)/सभी अवकाश रक्षित पदाधिकारी (उ0शि0)/डॉ0 शिवेश रंजन, विशेष कार्य पदाधिकारी/डॉ0 अरविन्द शर्मा, सम्पर्क पदाधिकारी, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–05, 14 एवं 15 / सभी सहायक, प्रशाखा–14 एवं 15, तथा लेखापाल, शिक्षा (उच्च शिक्षा) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

Karim 23/3/15
(एस0एम0 करीम)
निदेशक, उच्च शिक्षा

Pramod 23/3/15